जनपद हमीरपुर

थाना जरिया **दिनांक- 28.07.2026**

थाना जरिया पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-147/2025 धारा- 108 भारतीय न्याय संहिता से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि वादी मुकदमा बलवान पुत्र बालादीन निवासी ग्राम रिगवारा खुर्द थाना जरिया जनपद हमीरपुर द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उसके पुत्र अशपेंद्र को अभियुक्त द्वारा फंसाने तथा जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, जिससे क्षुब्ध होकर उसके पुत्र ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना जरिया पर मु0अ0सं0 147/2025 धारा 108 भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही का विवरण-

मुकदमा उपरोक्त में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान आज दिनांक 28.07.2026 को थाना जरिया पुलिस द्वारा मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्त धर्मकान्त पुत्र काशीराम निवासी ग्राम बीरा थाना जरिया जनपद हमीरपुर, हाल पता ग्राम रिगवारा खुर्द थाना जरिया जनपद हमीरपुर को ग्राम रिगवारा खुर्द से गिरफ्तार किया गया।

थाना जरिया पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

धर्मकान्त पुत्र काशीराम, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम बीरा थाना जरिया जनपद हमीरपुर, हाल पता ग्राम रिगवारा खुर्द थाना जरिया जनपद हमीरपुर।

आपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0 193/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जरिया जनपद हमीरपुर।
- मु0अ0सं0 147/2025 धारा 108 भारतीय न्याय संहिता थाना जरिया जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तारी का स्थान

ग्राम रिगवारा खुर्द, थाना जरिया, जनपद हमीरपुर।

पुलिस टीम

- उ0नि0 दिलीप श्रीवास्तव
- रि0आ0 करन यादव